

**बिहार सरकार**  
**उद्योग विभाग**  
**राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्यटन सचिवालय**  
**द्वितीय ताल, विकास भवन, बेली रोड, पटना**  
E-mail: sipbbihar16@gmail.com Website: w.w.w.udiyog.bihar.gov.in

सं सं-एलओआई/पीओबी/ 201700311, .....

दिनांक-

सेवा सं.

महालेखाकार (ले० एवं हक०),  
बिहार, पटना।

विषय-

मे० मेडिपार्क हेल्थकेयर प्रा० लि०, पटना द्वारा पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना में सुपर स्पेशलिटी हेल्थकेयर सर्विसेज ईकाई की स्थापना हेतु टर्म लोन पर ब्याज अनुदान के रूप में कुल रु० 21,76,852/- (मात्र इक्कीस लाख छिहत्तर हजार आठ सौ बावन रूपए) के अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-

स्वीकृत।

सहायक

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मे० मेडिपार्क हेल्थकेयर प्रा० लि०, पटना द्वारा पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना में सुपर स्पेशलिटी हेल्थकेयर सर्विसेज ईकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्यटन की बैठक दिनांक 07.06.2017 को स्टेज-1 तथा दिनांक 14.07.2017 की बैठक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम- 7 (2) (ii) में निहित प्रावधान के अलावा के प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन भी प्राप्त है। यह ईकाई हेल्थकेयर क्षेत्र की अंतर्गत प्राथमिकता सूची में है।

2. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत ईकाई के उत्पादन में आने का बाद ही अनुदान देय है। निदेशक तकनीकी विकास निदेशालय उद्योग विभाग के पत्रांक-513, दिनांक-05.04.2018 द्वारा ईकाई को दिनांक 01.11.2017 से कार्यरत बताया गया है। अतः ईकाई बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र है।

3. ईकाई को पूर्व में दिनांक-31.03.2018 तक कुल रु० 37,83,163/- (मात्र तीसरा लाख तिरासी हजार एक सौ तिरसठ रूपए) दिया जा चुका है।

4. ईकाई को तृतीय किरत के रूप में 01 अप्रैल, 2018 से 30 जून, 2018 तक ब्याज अनुदान के रूप में कुल रु० 21,76,852/- (मात्र इक्कीस लाख छिहत्तर हजार आठ सौ बावन रूपए) के अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है-

(i) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य और सक्षम कारण के बंद होती है तो भुगतान की गई अनुदान की राशि 18% वार्षिक ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(ii) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति के पश्चात 5 वर्षों तक स्थापित मशीन-उपकरण आधारभूत संरचना, भूमे की बिक्री/ लीज/ हस्तांतरण किसी अन्य को नहीं किया जाएगा।

(iii) अनुदान की गणना में कृति पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जाएगी।

(iv) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु कृती उपघोषणा किए जाने, उपलब्ध कराए गए कालावत के भविष्य में वसूल पाए जाने पर भुगतान की गई अनुदान की राशि भुगतान की तिथि से 18% वार्षिक ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(v) यदि ईकाई के द्वारा निर्धारित समय पर राशि वापस नहीं लौटाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा Public Demand Recovery Act के अंतर्गत ब्याज सहित उक्त राशि की वसूली भू-राजस्व के बकायों के रूप की जाएगी।

5. उक्त राशि का व्यय बहन 'राज्यवादेश सं०-2060, दिनांक-11.06.18 एवं आवंटनदेश सं०-5/31, B(Allotment)-16/2018, Order No.-1480 dated-13.06.2018 के अलावा में मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उच्च मुख्य शीर्ष 80-सामान्य, लघु शीर्ष 102-औद्योगिक उत्पादकता, भूमि संख्या 23, उच्च शीर्ष 0160-प्री प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र क्रमांक 23-2852001020160, विषय शीर्ष 0160,33,01 सस्त्रिबी मय में बालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में उपसंचित राशि से विकल्पित होगा।

कृपया पृष्ठ-2

- 6 इस राशि के निकारी एच व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।
- 7 इस राशि की निकारी सहायक सचिव/सहायक निदेशक, विकास भवन, पटना से होगी।
- 8 इस राशि की निकारी पूर्व प्राप्ति रसीद नं० बी० टी० रसी० कार्म-25 पर की जाएगी।
- 9 इस राशि का भुगतान से० मेडिपार्क हेल्थकेयर प्रा० लि०, पटना को उनके इलाहाबाद बैंक, सादरपुर, पटना के खाता संख्या-50374454898, IFSC Code-ALLA0210468 में RTGS के माध्यम से की जाएगी।  
बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-  
(पंकज कुमार सिंह)

उद्योग निदेशक  
-सह-  
सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०  
बिहार, पटना।  
दिनांक-

ज्ञापक—एस०आई०पी०बी० 201700311.....

प्रतिलिपि—कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कलकत्ता, विकास भवन, पटना को सूचनाार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
उद्योग निदेशक  
-सह-  
सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०  
बिहार, पटना।

ज्ञापक—एस०आई०पी०बी० 201700311.....

प्रतिलिपि विा विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनाार्थ प्रेषित।

दिनांक-

ह०/-  
उद्योग निदेशक  
-सह-  
सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०  
बिहार, पटना।

ज्ञापक—एस०आई०पी०बी० 201700311.1375

प्रतिलिपि— महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना को सूचनाार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियां भे / आई० टी० प्रबंधक उद्योग विभाग, बिहार, पटना / से० मेडिपार्क हेल्थकेयर प्रा० लि०, पटना को सूचनाार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक-08/03/19

  
उद्योग निदेशक  
-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०  
बिहार, पटना।

3/8/19